राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा–2023 के उपरान्त शिक्षकों की कांउसिलिंग/पदस्थापना के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा–2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विषयवार राज्य के राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में तैनाती/पदस्थापित किये जाने के संदर्भ में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 15–12–2023 को समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही है :–

1. **श्री बंशीधर तिवारी, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।**
2. **श्रीमती सीमा जौनसारी, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।**
3. **श्री महावीर सिंह बिष्ट, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।**
4. **श्री ललित मोहन चमोला, अपर निदेशक, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।**
5. **श्री कुंवर सिंह रावत, उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।**

बैठक में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा–2023 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थापित/तैनाती करने के सम्बन्ध में व्यापक छात्रहित/विद्यालय हित में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

1. शासनादेश संख्या–1613/XXIV-B-1/21–02(01)/2020 TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–1, देहरादून दिनांक 23 जुलाई, 2021 के अनुसार उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा–2023 के परीक्षाफल/योग्यता सूची के आधार पर विषयवार/क्रमानुसार शिक्षकों को काउंसिलिंग हेतु अवसर प्रदान करते हुए राज्य के राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल0टी0) की तैनाती की जायेगी, इस हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड सहायक अध्यापक (एल0टी0) के रिक्त पदों पर कांउसिलिंग हेतु अपर निदेशक (मा0शि0), गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल के साथ बैठक कर रणनीति का निर्धारण करेंगे।
2. राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0) की पदस्थापना हेतु कांउसिलिंग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित की जाय एवं कांउसिलिंग हेतु तिथि निर्धारित करते हुए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाय।
3. अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के स्थल रिक्ति में प्रदर्शित नहीं हैं। अतः व्यापक छात्रहित/विद्यालय हित में राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर काउंसिलिंग हेतु उपस्थिति होंगे, उन्हें अपने विद्यालय के कार्यस्थल ही आवंटित किये जायं ताकि राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अधिक से अधिक शिक्षकों की तैनाती सम्भव हो सके। इसी प्रकार वर्ष 2021 में स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरान्त कांउसिलिंग के माध्यम से राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित/पदस्थापित शिक्षकों को स्क्रीनिंग परीक्षा–2023 के परीक्षाफल/योग्यता सूची के अनुसार अन्य विद्यालयों में पदस्थापित नहीं किया जायेगा।
4. राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पदों पर किसी भी प्रकार से होने वाली फलित रिक्तियों के प्रति शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की जाय।
5. प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (एल0टी0) में कार्यरत शिक्षकों की उसी संवर्ग/मण्डल के राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में पदस्थापना की जायेगी, जो उसका मूल संवर्ग/मण्डल होगा अर्थात संवर्ग/मण्डल से अन्यत्र शिक्षकों की पदस्थापना कदापि न की जाय।
6. काउसिलिंग से पूर्व राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की सूचना प्रख्यापित/चस्पा की जाय, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। इस प्रकार से प्रख्यापित रिक्तियों से भिन्न अन्य किसी भी रिक्ति के सापेक्ष पदस्थापना की कार्यवाही कदापि नहीं की जाय।
7. महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल0टी0) की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा–2023 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में शिक्षकों की पदस्थापना हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र में 03 स्थानों के विकल्प भी मांगे गये हैं, चूंकि तद्समय रिक्तियों की स्थिति स्पष्ट नहीं रही है। अतः अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित विकल्पों पर विचार नहीं किया जायेगा बल्कि परीक्षाफल/योग्यता सूची के विषयवार वरीयता क्रम में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में वर्तमान में उपलब्ध नवीन रिक्तियों में से कांउसिलिंग के आधार पर स्थान आवंटित किया जायेगा।

8. राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक एल0टी0) के स्थान पर काउसिंलिंग के माध्यम से चयनित शिक्षकों की पदस्थापना की जाय तथा प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों को सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदान्तर्गत समायोजित किया जाय। जनपदान्तर्गत/मण्डलान्तर्गत पद रिक्त न होने की स्थिति में ऐसे प्रकरण मण्डल/निदेशालय को प्रेषित कर दिये जायं।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/शिविर/ 27382-388/**बैठक–अटल स्क्री0प0**/2023–24/दिनांक 19 दिसम्बर, 2023।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण/प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0/प्रा0शि0), गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
6. सम्बन्धित प्रतिभागी अधिकारीगण।
7. कार्यालय प्रति।

(बंशीधर तिवारी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड